मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 03-41/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 23 / 12 / 2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म.प्र.

विषय– **"समाधान एक दिन–तत्काल सेवा"** व्यवस्था के अंतर्गत निःशक्त विवाह प्रोत्साहन स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य– तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में निःशक्त विवाह प्रोत्साहन स्वीकृत करने विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा –

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड –

4.1 आवेदक/आवेदिका को निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा–2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 या उससे अधिक निःशक्तता होनी आवश्यक है।

4.2 आवेदक/आवेदिका मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

4.3 आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।

4.4 विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।

4.5 आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।

4.6 राष्ट्रीय न्यास (National Trust) अंतर्गत प्रदायित वैद्यानिक संरक्षकता (Legal Guardianship) प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे मानसिक निःशक्त व्यक्ति जिन्हें चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा "विवाह हेतु योग्य" का प्रमाण पत्र दिया गया है, वे ही विवाह उपरांत योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

4.7 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त के करने के लिये निःशक्त दंपत्ति में से किसी एक को विवाह संपन्न होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा, अन्यथा निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी ।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया –

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
1	आयु प्रमाण पत्र (निम्न में से कोई एक) • स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची • जन्म प्रमाणपत्र • मतदाता सूची • स्वयं का मतदाता परिचय पत्र • मनरेगा जॉब कार्ड • चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र • उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
2	सक्षम चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अथवा स्पर्श पोर्टल **(sparsh.samagra.gov.in)** से
3	विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिसमें विवाह धार्मिक रीति एवं सामाजिक रीति से किये गये विवाह का कोर्ट तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा–माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, महापोर, अध्यक्ष नगर पालिका/नगर निगम, सरपंच, राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
4	आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज का एक फोटो (दम्पती के)	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
5	आवेदक/आवेदिका द्वारा संलग्न **परिशिष्ट अ** अनुसार स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र के आधार पर
6	आवेदक/आवेदिका का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
7	आवेदक/आवेदिका का आधार की छायाप्रति। (यदि हो तो)	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
8	आवेदक/आवेदिका का समग्र आई.डी.	सत्यापन समग्र पोर्टल (**samagra.gov.in**) से
9	आवेदक/आवेदिका की बैंक/पोस्ट ऑफिस की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम एवं खाता कमांक एवं आई.एफ.एस. कोड स्पष्ट दिखाई दे रहा हो।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर

5. आवेदन करने का स्थान– लोक सेवा केंद्र

6. आवेदन करने की प्रक्रिया –

6.1 पात्रता अनुसार पूर्ण दस्तावेज सहित आवेदन लोक सेवा केंद्र में स्वीकार किये जायेंगे।

6.2 आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा।

6.3 आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में आवेदक को प्रदाय की जावेगी।

6.4 आवेदन भरते समय आवेदक/अन्य किसी सबंधित व्यक्ति का मोबाईल नम्बर भरना अनिवार्य होगा, इसके अलावा अगर आधार एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जायेगा।

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा।

7. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया –

7.1 लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा आवेदन सबमिट करते ही आवेदन ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा।

7.2 पदाभिहित अधिकारी द्वारा कंडिका 4 अनुसार पात्रता एवं दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा।

7.3 यदि आवेदक पात्र है तो पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण कर स्वीकृति आदेश जारी करते हुए स्वीकृति आदेश की प्रति **mpedistrict** पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।

7.4 प्रकरण स्वीकृत होने पर राशि का भुगतान आवेदन स्वीकृति की दिनांक से 15 कार्य दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। (इसका उल्लेख स्वीकृति आदेश में भी होगा)

7.5 यदि आवेदक अपात्र है तो अपात्रता का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

7.6 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन/सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट/पोर्टल पर संधारित की जायेगी।

8. अपीलः— समाधान एक दिवस प्रक्रिया में भी अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आवेदक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रावधानों अनुसार अपील कर सकेगा।

9. **रिमार्कः**— योजनान्तर्गत प्रदाय राशि की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु विभाग द्वारा पूर्व से अधिकृत विभागीय संस्था/अधिकारी लोक सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त कार्य करते रहेंगे।

(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

पृ.क्र./एफ0 3-41/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 23/12/2017

प्रतिलिपि :—

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, पंचायती राज संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, विंध्याचल भवन भोपाल।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

स्व प्रमाणित घोषणा पत्र

मैं/हम सत्य निष्ठा से यह वचन देते है कि–

1. यह कि मैं/हम निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–2 में वर्णित निःशक्तता की श्रेणी और 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता रखते हैं जिसके लिये सक्षम चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

2. यह कि हमने धार्मिक रीति/सामाजिक रीति/न्यायालय के समक्ष दिनांक ..... को विवाह किया है।

3. यह कि हम दम्पत्ति आयकरदाता नहीं हैं।

4. यह कि हम दम्पत्ति का अन्य कोई विवाहित पति/पत्नी नहीं है और न ही हमने पूर्व में इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त की है।

5. यह कि हमारे ऊपर किसी तरह का अपराधिक/महिला उत्पीड़न का वाद नहीं चल रहा है।

6. हम यह भी कथन करते हैं कि निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यदि हम दम्पत्ति 5 साल की अवधि के पूर्व विवाह विच्छेद होता है या विवाह सम्बन्ध टूटता है तो शासन द्वारा स्वीकृत की गई राशि निराश्रित निधि के खाते में जमा करेंगे। यदि यह राशि हम जमा नहीं करते हैं तो शासन भू–राजस्व के तहत राशि वसूल कर सकता है।

7. यह कि हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सही है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

पति के हस्ताक्षर ..... पत्नी के हस्ताक्षर .....

नाम एवं पूर्ण पता नाम एवं पूर्ण पता